



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25082026-275760
CG-MH-E-25082026-275760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4484]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4484]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4667(अ).— जबकि, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या G.S.R. 70 (E), दिनांक 23 जनवरी 2026 के द्वारा—जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उप-खंड (II) को प्रकाशित हुई थी और जिसे रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20A के उप-खंड (1) के तहत जारी किया गया था—केंद्र सरकार ने, भुज-नलिया गेज परिवर्तन (101.25 किमी) के विस्तार के रूप में वायोर नई लाइन (24.65 किमी) तक, 'ROB-92' नामक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के उद्देश्य से, उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र “कच्छमित्र” (गुजराती), “मेट्रो हेराल्ड (हिंदी) & “द इंडियन एक्सप्रेस”(अंग्रेजी), 04 फरवरी 2026 में उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और जबकि, आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं;

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (एक) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है. अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाएगी;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी बंधनों से मुक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जिला कच्छ भुज, भुज-नलिया आमान परिवर्तन परियोजना (101.25 कि.मी.) और नयी लाइन से वायोर तक विस्तार (24.65 कि.मी.) तक विस्तार के संबंध में आरओबी-92 को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिला: कच्छ तालुका : अबडासा

क्र. स.	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूमि मालिक / इच्छित व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अबडासा	कोठारा	983	निजी	खेती	8312	(1) सुलेमान इब्राहिम मंधरा (2) जाडेजा सज्जनसिंह वखतसिंहजी
			कुल ज़मीन (वर्ग मीटर में)			8312	

[फा. सं. ई-711413/2]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक - II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th August, 2026

S.O. 4667(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, G.S.R. 70 (E), dated the 23rd January, 2026 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, ROB-92, in connection with Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 Km) extension up to Vayor New Line (24.65 KM).

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Kutch Mitra ” (Gujarati), “The India Express (English), & “Metro Herald ” (Hindi) dated 04th February, 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act, And whereas, the objections have been received and rejected by the competent

authority and accordingly orders have been passed, And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: ROB-92, in connection with Bhuj – Naliya Gauge Conversion (101.25 KM) extension up to Vayor New Line (24.65 KM) in District Kutch in the state of Gujarat.

Name Of District: - Kutch **Tauka:** Abdasa

Sr. No.	Name of the Tauka	Name of the village	Survey No	Type of Land	Nature of Land	Area in Sqm.	Name of the land owner /interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Abdasa	Kothara	983	Private	Agriculture	8312	(1) Suleman Ibrahim Mandhra (2) Jadeja Sazzansingh Vakhatsinghji
Total land in SQM						8312	

[F. No. E-711413/2]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager - II